निवेश के नाम पर ठगे गए 5.07 लाख रुपये, साइबर थाना ने तीन दिन में कराए वापस

स्वतंत्र हित- मो0 तौफीक

बलरामपुर, 6 अगस्त। निवेश पर अधिक मुनाफे का झांसा देकर साइबर ठगी का शिकार हुए एक व्यक्ति के 5.07 लाख रुपये साइबर थाना पुलिस ने महज तीन दिन में वापस करा दिए। पूरी रकम खाते में लौटने पर पीड़ित ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। भगवतीगंज निवासी रवि चंद्र सोनी ने 4 अगस्त को साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि साइबर ठगों ने निवेश पर अधिक लाभ का लालच देकर उनसे अलग-अलग माध्यमों से कुल 5,07,629 रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए। करीब दो महीने तक रकम लौटाने का भरोसा दिया जाता रहा, लेकिन पैसा वापस नहीं मिला। शिकायत मिलते ही पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के

निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी साइबर वीरसेन सिंह के नेतृत्व में साइबर थाना पुलिस ने संबंधित बैंक और वित्तीय संस्थानों से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई शुरू की। इसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता की पूरी 5,07,629 रुपये की धनराशि तीन दिन के भीतर उसके बैंक खाते में वापस करा दी गई। साइबर थाना पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। समय पर शिकायत करने से धनराशि वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है।